25.7.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 6 ने अदालत मोतहत में दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 के दादा तथा प्रतिवादी सं0-4 के दादेर श्वसुर तथा प्रतिवादी सं0-5 से 8 के परदादा अलफुखाँ राज सवाई जयपुर संवत 1999 से ग्राम गोविन्दपुरा के पुराने खसरा नं0-8 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं0 10 रकबा 0.90 हैक्टर, ख0नं0 11 रकबा 2.95 हैक्टर, ख0नं0 15 रकबा 1.00 हैक्टर, ख0नं0 16 रकबा 1.63 हैक्टर, ख0नं0 17 रकबा 0.12 हैक्टर, पुराना ख0नं0 1 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा पुखता, हाल ख0नं0 1 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नं0 2 रकबा 3.37 हैक्टर, ख0नं0 18 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 19 रकबा 1.85 हैक्टर, ख0नं0 21 रकबा 1.58 हैक्टर, पुराने ख0नं0 1/89 रकबा 3 बिस्वा हाल खसरा नं0 17 रकबा 0.12 हैक्टर पर काश्त करते थे । आधार वर्ष 2012 की जमाबन्दी में उक्त अलफु खां के नाम ख0नं0 1/87 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा पुखता तथा खसरा नं0 1 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा पुखता खातेदारी में दर्ज है तथा ख0नं0 8 रकबा 24 बीघा 15 बिस्वा में अलफु खा का 1/2 हिस्सा व रामपत पुत्र गंगा कौम जाट का 1/2 हिस्सा रहा व इसी प्रकार कब्जा काश्त रहा । किन्तु जमाबन्दी सं0-2016 से 2019 में अलफुखा के पुत्र असगर व उमर के नाम ख0नं0 1 रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा पर दर्ज करने चाहिये थे किन्तु पटवारी हल्का ने उक्त जमाबन्दी में सकरू नामक शख्स को भी अलफु खां का पुत्र बताकर नाम दर्ज कर दिया । जबकि अलफु खा के दो ही पुत्र है । सकरू नाम का कोई पुत्र नहीं है ।आगे चलकर सकरू के वारिसान के नाम दर्ज हो गई जिसको दुरूस्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	प्रतिवादी सं0-9 से 17 का नाम हटाया जाकर विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 8 के नाम से आधार वर्ष 2012 की जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें । अदालत मासहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।	

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। रेस्पोन्डेन्ट ने अदालत मातहत के समक्ष राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया वो सम्वत 1999 से आज तक ग्राम गोविन्दपुरा के नाम से है ।अदालत मातहत ने इस बात पर गौर नहीं किया कि गोविन्दपुरा के भूमि बाबत सभी पक्षकारों का मण्ड्रेला निवास दिखाकर दावा प्रस्तुत किया गया । अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध ख एक पक्षीय आदेश पारित करने से पूर्व समनों पर आई रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया । प्रतिवादीगण की तामिल एक ही दिन में खुल्ले मकान पर चस्पांदगी से दिखाई गई है । तामिल कुनिन्दा ने बिना न्यायालय के आदेश से चस्पांदगी से तामिल क्यों करवाई तथा किसके सामने समन चस्पा किया किस तारीख, समय को किया, मकान की निशानदेही भी दर्ज नहीं की। अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण की तामिल सम्यक रूप से नहीं करवाकर आदेश पारित किया । जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्धहै । तथा प्रतिवादी सं0-15 लालु का दि0 6-7-2011 को देहान्त हो गया दिनांक 6-7-2011 को देहान्त हो गया अदालत मातहत ने कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं कर आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया है । अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया बिना सम्यक तामिल के एकपक्षीय आदेश पारित कर आदेश पारति किया जिससे अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 12-5-2014 को अपीलान्ट पटवारी हल्का से खातेदारी प्रमाण पत्र बनाने बाबत

जमाबन्दी की नकल मांगी तब मालुम चला कि रेस्पो० ने अदालत मातहत की डिक्री दिनांक 6-9-2012 के तहत राजस्व रेकार्ड में टीनेन्सी दर्ज करवा ली है जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 13-5-14 को अदालत मातहत के समक्ष निर्णय व डिक्री की नकल के लिये आवेदन किया जिस पर नकल 13-5-14 को ही प्राप्त हो गई। नकल मिलने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्टस्/प्रतिवादी सं0-9 से 17 की तामिल निवासी मण्ड्रेला तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू के पते पर तामिल करवाये है। इन नोटिसों पर लिख दिया घर पर कोई नहीं मिला खुले मकान पर चस्पा कर दिया। तथा लालू के नोटिस पर बच्चों सहित बाहर गये हुये नोटिस की प्रति चस्पा की गई ।बाबू का बिदेश बताया नोटिस खुल्ले मकान पर चस्पा किया । इस प्रकार अदालत मातहत ने तामिल चस्पांदगी से मानी कर निर्णय किया है । मतदाता सूची में अपीलान्ट का पता काजियों की ढाणी ग्राम गोविन्द पुरा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू दर्ज है ।मतदाता पहचान पत्र 133 रा0उ0प्रा0वि0 गोविन्दपुरा-517 भी गोविन्दपुरा का बना हुआ है। बिजली के बिल काजियों की ढाणी गांव गोविन्दपुरा, परिवार कार्ड गाव गोविन्दपुरा के बने हुये है जबकि वादीगण ने अपीलान्ट

दिनांक	आज्ञा पत्र	

तामिल सम्यक रूप से नहीं हुई तथा सभी अपीलान्ट की तामिल घस्पांदगी से करवाई है जो विदेश है उनकी तामिल भी घस्पांदगी से करवाई गई है और न्यायालय द्वारा घस्पांदगी से तामिल करवाये जाने के कोई आदेश नहीं है । इस प्रकार अपीलान्ट की तामिल पर्याप्त नहीं है । इस कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर न कर तामिल के बिन्दू पर ही किया जाना उचित मानते है क्योंकि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलान्ट की अपील को न्यायहित में अन्दर मियाद स्वीकार कर अपील स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी पिडावा का निर्णय एवं डिक्री दि0 6-9-2012 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 31-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

25-7-18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर